~~[illegible]~~

10/8/2021

याचिकाकर्ता पुरानी वकील की अनुपस्थिति, वकील प्रतिपक्षी समय 3 बजे। वकील की तिथि 28/7/2021 को भी अनुपस्थित थे। वकील पक्षों/पक्षियों को बार बार कहा कि पक्ष याचिका समाप्त करें। आवश्यकतानुसार नहीं समाप्त तक आवश्यकतानुसार नहीं। कारण वकील पक्षों/पक्षियों अदालत को कोई उपस्थित नहीं हुए अतः वाद पक्षों अदालत में अदालत के निर्णय अनुसार है। पक्षों को आम हिदायत पेशगी हुआ हिदायत 5/10/21 समय 4 बजे

सहायक कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.10.28 16:35:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner